न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी डॉ0 प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 81/2019

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
भानाराम पुत्र सांवताराम निवासी–बरड़ाना, तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।		राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, पोकरण जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 24.03.2017 जो जिला कलेक्टर, जैसलमेर के द्वारा राजस्व अपील संख्या 07/2015 अनवान भानाराम बनाम सरकार में पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री विक्रम चौधरी, विद्वान अधिवक्ता, अपीलकर्ता की ओर से।
2. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेण्ट्स की ओर से।

:: **निर्णय** ::

दिनांक 30 जुलाई, 2025

1. अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील पत्रावली में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, जैसलमेर के द्वारा राजस्व अपील संख्या 07/2015 अनवान भानाराम बनाम सरकार में पारित आदेश 24.03.2017 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 03.05.2017 को प्रस्तुत की गई जो अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन से तलब किया गया।

2. पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित है। अपीलाण्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, वो विधि के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का लोहारकी ने अपीलान्ट के विरूद्ध इस आशय की रिपोर्ट पेश की थी कि अपीलान्ट ने सम्वत 2066 में ग्राम बरडाना के ख0सं0 27 रकबा 33.10 बीघा किस्म बंजड़ में से 10.01 बीघा भूमि पर 10 बीघा में बाजरी व 01 बिस्वा में पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण किया है जिस पर तहसीलदार पोकरण के द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत दर्ज करते हुए नोटिस जारी किया गया तथा अतिक्रमण का दोषी मानकर उक्त भूमि से बेदखल करने तथा 15 रूपये का अर्थदण्ड लगाते हुए फसल जब्त कर नीलामी के आदेश दिनांक 26.8.2015 को पारित किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट के द्वारा एक प्रथम

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपील जिला कलेक्टर, जैसलमेर के समक्ष पेश की गई जो प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा दिनांक 24.3.2017 को अस्वीकार कर दी गई।

3. अपीलाण्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट को बिना सबूत व गवाह, जिरह व दस्तावेज पेश करने का अवसर दिये बिना ही एकतरफा कार्यवाही करते हुए निर्णय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से काबिल निरस्त के है। अपीलान्ट ने उक्त वर्णित राजकीय भूमि ख0सं0 27 रकबा 33.10 बीघा किस्म बंजड़ में से 10.01 बीघा अथवा अन्य किसी भी प्रकार की राजकीय भूमि पर कब्जा अथवा अनाधिकृत रूप से कब्जा नहीं किया गया है और न ही काश्त की है तथा न ही राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। उक्त वर्णित भूमि अपीलान्ट की पुश्तैनी कब्जा काश्त की कृषि भूमि है जिस पर अपीलान्ट की एक ढाणी व टांका निर्मित है। वर्ष 2002 से ही अपीलान्ट का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है तथा पटवारी हल्का के द्वारा भी समय–समय पर गिरदावरी दर्ज की जाती रही है। पटवारी हल्का के द्वारा बिना सही जॉच किये व बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अतिक्रमण दर्ज कर लिया गया है। अपीलान्ट पूर्ण रूप से निर्दोष है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित बेदखली व जुर्माना आदेश काबिल निरस्ती के है।

4. अपीलाण्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट की कब्जा काश्त की कृषि भूमि का पटवारी हल्का के द्वारा मौके पर पैमाइश सही ढंग से नहीं की गई है एवं उसको गलत रूप से अतिक्रमण बताना, गलत व तंग व परेशान करने की नियत जाहिर होती है। यदि अपीलान्ट को उक्त भूमि से बदेखल कर दिया गया तो अपीलान्ट के परिवार का पालन–पोषण दुर्लभ हो जायेगा। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट ने भूमि को काश्त योग्य बनाने में लाखों रूपये की राशि भी व्यय की गई है तथा वहॉ पर ढाणी इत्यादि बनाकर परिवार सहित रहवास करता चला आ रहा है, वह निरर्थक हो जावेगी। उक्त परिस्थितियों को देखते हुए उक्त दोनों अपीलाधीन आदेशों को अपास्त किया जावें।

5. अपीलाण्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह कथन किया कि अपीलान्ट एक गरीब व खेती पेशा शख्स है जिसको उक्त भूमि से बेदखल किया गया तो अपीलान्ट के द्वारा लाखों रूपये की राशि जो इस भूमि पर व्यय की गई है, उसका आर्थिक नुकसान अपीलान्ट को होगा। अपीलान्ट ग्राम बरड़ाना का जन्मजात पीढ़ीदर मूल निवासी है। विकल्प में यदि सकरारी भूमि में ढाणी पाई जाती है तो नियमन का प्रावधान है जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं मानकर कानूनी भूल की है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, जैसलमेर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.03.2017 को निरस्त किया जावें।

6. रेस्पोडेण्ट की ओर से विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि पटवारी हल्का लोहारकी ने अपीलान्ट के विरूद्ध इस आशय की रिपोर्ट पेश की थी कि अपीलान्ट ने सम्वत 2066 में ग्राम बरडाना के ख0सं0 27 रकबा 33.10 बीघा किस्म बंजड़

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

भूमि में से 10.01 बीघा भूमि पर 10 बीघा में बाजरी व 01 बिस्वा में पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण किया है जिस पर तहसीलदार पोकरण के द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत दर्ज करते हुए नोटिस जारी किया गया तथा अतिक्रमण का दोषी मानते उक्त भूमि से बेदखल के आदेश दिनांक 7.9.2011 को पारित किया गया।

7. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि तहसीलदार पोकरण के उक्त निर्णय दिनांक 7.9.2011 के विरूद्ध जिला कलेक्टर, जैसलमेर न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील संख्या 03/2011 पेश किये जाने पर निर्णय दिनांक 26.11.2011 के द्वारा प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए प्रकरण तहसीलदार पोकरण को रिमाण्ड किया जाकर अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए तथा वादग्रस्त भूमि नियमन योग्य है अथवा नहीं इसका परीक्षण किया जावे तत्पश्चात नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया था जिसकी पालना में तहसीलदार पोकरण ने प्रकरण संख्या 54/2013 दर्ज करते हुए अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देकर तथा पटवारी हल्का से वादग्रस्त भूमि की पैमाइश करवाई गई जिसमें अपीलान्ट के अतिक्रमी होने का तथ्य सही पाया गया और उक्त अतिक्रमित भूमि सरकारी भूमि पाई गई। जिसके आधार पर तहसीलदार पोकरण ने अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए उक्त भूमि का नियमन का अनुतोष दिया जाना युक्तिसंगत नहीं मानते हुए वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिनांक 26.8.2015 को पारित किया गया था। तहसीलदार पोकरण के उक्त आदेश दिनांक 26.8.2015 के विरूद्ध प्रथम अपील संख्या 07/2015 जिला कलेक्टर, जैसलमेर के समक्ष पेश किये जाने पर जिला कलेक्टर जैसलमेर के द्वारा उभय पक्षकारान की सुनवाई किये जाने के उपरान्त उक्त वर्णित राजकीय भूमि पर अपीलान्ट की ओर से किये गये अतिक्रमण को राजस्व नियमों में नियमन के प्रावधान नहीं होने तथा अपीलान्ट के द्वारा वादग्रस्त राजकीय भूमि पर अवैध काश्त एवं अवैध निर्माण किया जाना प्रमाणित मानते हुए अपीलान्ट की अपील अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.3.2017 को खारिज कर दी गई, जो विधि के अनुकूल एवं उचित होने से यथावत रखा जावे तथा अपीलान्ट की अपील अस्वीकार की जावें।

न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

8. हमने उपस्थित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर गहनता से चिन्तन एवं मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि अपीलान्ट के द्वारा ग्राम बरडाना के ख0सं0 27 रकबा 33.10 बीघा किस्म बंजड़ भूमि में रकबा 10.01 बीघा भूमि पर अनाधिकृत रूप से फसल बोये जाने तथा रकबा 01 बिस्वा भूमि पर पक्का निर्माण मकान बनाकर अतिक्रमण किये जाने पर उसके विरूद्ध धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत पटवारी हल्का के द्वारा प्रकरण तैयार किये जाकर तहसीलदार पोकरण के समक्ष वर्ष 2011 में पेश किये जाने के पश्चात दिनांक 25.7.2015 को पटवारी हल्का के द्वारा अपीलान्ट के अतिक्रमी होना पाये जाने पर धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत उक्त वर्णित भूमि से अतिक्रमण हटाये जाने/ बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये जाना पत्रावली से प्रकट होता है।

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलान्ट के द्वारा उक्त भूमि पर पक्का निर्माण कर लिये जाने तथा अतिक्रमित भूमि का नियमन उनके पक्ष में किये जाने के अनुतोष का राजस्व नियमों में कोई प्रावधान नहीं होने के आधार पर अस्वीकार करते हुए न्यायालय जिला कलेक्टर, जैसलमेर द्वारा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रथम अपील को अस्वीकार किया गया है। अपीलान्ट के द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष भी ऐसे कोई ठोस साक्ष्य/ दस्तावेज इत्यादि पेश नहीं किये है जिससे यह प्रकट होता हो कि उनके द्वारा राजकीय भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया हो। इस प्रकार अपीलान्ट राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का आदि प्रतीत होता है जिसे इस अपील के जरिये कोई अनुतोष दिया जाना न्यायसंगत एवं विधि के अनुरूप उचित नहीं होगा। प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलेक्टर जैसलमेर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.03.2017 के अनुसार अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है जिसके आधार पर हम उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण के उपरान्त हमारे विनम्र मत के अनुसार अपीलान्ट की अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किये जाने योग्य पाई जाती है।

9. अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज की जाती है तथा जिला कलेक्टर, जैलसमेर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.03.2017 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 30 जुलाई 2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर